**27**

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

**(2021-22)**

सत्रहवीं लोक सभा

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग)

**[**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) के ''पेट्रो-रसायनों की आयात एवं निर्यात सहित मांग और उपलब्धता'' विषयक अपने 16वें प्रतिवेदन **(**सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई**]**

सत्ताईसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसम्बर**, 2021 /** अग्रहायण**, 1943 (शक**

सत्ताईसवां प्रतिवेदन

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति
**(2021-22)**

**(**सत्रहवीं लोक सभा**)**

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग)

**[**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) के "पेट्रो-रसायनों की आयात एवं निर्यात सहित मांग और उपलब्धता" विषयक 16वें प्रतिवेदन **(**सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई**]**

02.12.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

02.12.2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसम्बर**, 2021 /** अग्रहायण**, 1943 (**शक**)**

**विषय-सूची** पृष्ठ

समिति (2020-21) की संरचना

समिति (2021-22) की संरचना

प्राक्कथन


| | |
|---|---|
| अध्याय - एक | प्रतिवेदन |
| अध्याय - दो | टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है |
| अध्याय - तीन | टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती |
| अध्याय - चार | टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं |
| अध्याय - पांच | टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं |


**परिशिष्ट**


| | |
|---|---|
| एक. | रसायन औंर उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की दिनांक 16.11.2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश |
| दो. | रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) के ''पेट्रो-रसायनों की आयात एवं निर्यात सहित मांग और उपलब्धता'' विषयक 16वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण। |

## रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की संरचना

**श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि - सभापति**

**सदस्य**

**लोक सभा**

2. श्री एम. बदरुद्दीन अज़मल
3. श्री दीपक बैज
4. श्री रमाकान्त भार्गव
5. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर
6. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा
7. श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि
8. श्री पकौड़ी लाल
9. श्री कृपानाथ मल्लाह
10. श्री सत्यदेव पचौरी
11. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
12. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद
13. श्री अतुल कुमार सिंह ऊर्फ अतुल राय
14. श्री अरुण कुमार सागर
15. श्री एम. सेल्वराज
16. श्री प्रदीप कुमार सिंह
17. श्री उदय प्रताप सिंह
18. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
19. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा इंजीनियर बिश्वेश्वर टुडु
20. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी[#]
21. रिक्त[*]

**राज्य सभा**

22. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर
23. डॉ. अनिल जैन
24. श्री अहमद अशफाक करीम
25. श्री एम.वी. श्रेयम्स कुमार
26. श्री जयप्रकाश निषाद
27. श्री अंतियुर पी. सेल्वरासू
28. श्री अरूण सिंह[$]
29. श्री ए.डी. सिंह
30. श्री विजय पाल सिंह तोमर
31. श्री के. वेंलेल्वना

**सचिवालय**

1. श्री मनोज कुमार अरोड़ा - विशेष कार्य अधिकारी (एलएसएस)
2. श्री नबीन कुमार झा - निदेशक
3. श्री सी. कल्याणसुन्दरम - अपर निदेशक
4. श्री कुलविन्दर सिंह - उप सचिव

---

[$]दिनांक 23.12.2020 से समिति हेतु पुन: नामनिर्देशित।

[#]श्री नंदीग्राम सुरेश के स्थान पर दिनांक 28.12.2020 से समिति में नामनिर्देशित।

[#]07.07.2021 को श्री इंजीनियर बिश्वेश्वर टुडु के राज्य मंत्री मनोनीत होने के कारण रिक्त।

## रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

**श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि - सभापति**

**सदस्य**

**लोक सभा**

2. श्री दिव्येन्दु अधिकारी
3. मौलाना बदरुद्दीन अजमल
4. श्री दीपक बैज
5. श्री रमाकान्त भार्गव
6. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर
7. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा
8. श्री संजय शामराव धोत्रे
9. श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि
10. श्री कृपानाथ मल्लाह
11. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
12. श्री सत्यदेव पचौरी
13. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
14. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद
15. श्री अरुण कुमार सागर
16. श्री एम. सेल्वराज
17. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
18. श्री अतुल कुमार सिंह
19. श्री प्रदीप कुमार सिंह
20. श्री उदय प्रताप सिंह
21. श्री इंद्रा हांग सुब्बा

**राज्य सभा**

22. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला
23. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर
24. डॉ. अनिल जैन
25. श्री एम.वी. श्रेयम्स कुमार
26. श्री जयप्रकाश निषाद
27. श्री अंतियुर पी. सेल्वरासू
28. श्री अरूण सिंह
29. श्री विजय पाल सिंह तोमर
30. श्री के. वेंलेल्वना
31. रिक्त

**सचिवालय**

1. श्री नबीन कुमार झा - निदेशक
2. श्री सी. कल्याणसुन्दरम - अपर निदेशक
3. श्री कुलविन्दर सिंह - उप सचिव

## प्राक्कथन

मैं, रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की सभापति, समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) से संबंधित "पेट्रो-रसायनों की आयात एवं निर्यात सहित मांग और उपलब्धता" विषयक 16वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी यह सत्ताईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

2. सोलहवें प्रतिवेदन को 17 मार्च, 2021 को लोक सभा में पेश किया गया और राज्यसभा के पटल पर भी रखा गया। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) ने 17 जून, 2021 को अपने उत्तर दे दिए जिसमें उक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का विवरण था। समिति ने दिनांक 16 नवम्बर, 2021 को हुई अपनी बैठक में इस प्रारूप प्रतिवेदन को विचारोपरान्त स्वीकार किया।

3. समिति के सोलहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट- II में दिया गया है।

4. संदर्भ और सुविधा के लिए, समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें/आगे की टिप्पणियाँ प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित की गई हैं।

**नई दिल्ली;**
**16 नवंबर, 2021**
**25 कार्तिका, 1943 (शक)**

**कनिमोझी करुणानिधि**
**सभापति,**
**रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति**

## प्रतिवेदन

### अध्याय – एक

1.1 रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग) से संबंधित **'आयात और निर्यात सहित पेट्रोरसायन की मांग और उपलब्धता'** के बारे में समिति के **सोलहवें प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा)** में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

1. 2 सोलहवां प्रतिवेदन 17.03.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया तथा राज्य सभा के पटल पर रखा गया। इसमें 12 टिप्पणियां/सिफारिशें हैं। सभी सिफारिशों के संबंध में सरकार के उत्तर प्राप्त किए गए हैं। इन उत्तरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:-

(i) टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है:

क्र. संख्या. 2, 4, 7, 9, 10 और 12. कुल = 06

(प्रतिशतता: 50%)

इन्हें प्रतिवेदन के **अध्याय दो** में शामिल किया गया है।

(ii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिन पर समिति सरकार के उत्तर को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:

शून्य कुल = 00

(प्रतिशतता: 00)

इन्हें प्रतिवेदन के **अध्याय तीन** में शामिल किया गया है।

(iii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के की-गई-कार्रवाई उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:-

क्र. संख्या. 3, 6, 8 और 11 कुल = 04

(प्रतिशतता: 33%)

इन्हें प्रतिवेदन के **अध्याय चार** में शामिल किया गया है।

(iv) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं:

क्र. संख्या. 1 और 5 कुल =02

(प्रतिशतता:16%)

इन्हें प्रतिवेदन के **अध्याय पाँच** में शामिल किया गया है।

1.3 समिति की इच्छा है कि इस प्रतिवेदन के **अध्याय-एक** में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में आगे की गई कार्रवाई टिप्पण शीघ्र भेजें तथा इस प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की तिथि से तीन माह से पहले भेजें जाएं।

1.4 समिति अब उन टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार करेगी, जिन्हें अभी भी दोहराए जाने अथवा जिन पर टिप्पण किए जाने की आवश्यकता है।

**सिफारिश क्रम संख्या 3**

**<u>पेट्रोरसायन की मांग और उपलब्धता</u>**

1.5 पेट्रोरसायन की मांग और उपलब्धता के संबंध में समिति ने निम्नानुसार सिफारिश की थी:-

''समिति नोट करती है कि पॉलीप्रापिलिन (पीपी) और प्यूरीफाइड ट्रेरापैथिलिक एसिड (पीटीए) के संबंध में 2025 के लिए भाग और आपूर्ति का अनुमान लगभग संतुलित है। तथापि अन्य पेट्रोरसायन यथा पैलिथिलिन (पीई), पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी), मोनो एथलिन ग्लायकोल (एमजी), इलास्टोमर्स आदि के संबंध में वर्ष 2025 हेतु मांग और आपूर्ति न्यूनता की ओर है। इसके अतिरिक्त स्टाइरिन और पॉलिकारबोनेट का पूर्णता आयात होता है क्योंकि देश में इन दो पेट्रोरसायन की घरेलू उत्पादन क्षमता नहीं है। पेट्रोरसायन जिसकी उत्पादन क्षमता मांग से कम है, का आयात घरेलू मांग की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। चूंकि यह आवश्यक है कि देश में विभिन्न पेट्रोरसायन का उत्पादन अपेक्षित मात्रा में हो ताकि घरेलू मांग को पूरा किया जा सके। इस संबंध में समिति सिफारिश करती है कि प्रत्येक पेट्रोरसायन की मांग और उपलब्धता का अध्ययन पृथक किया जाए और देश में उनके उत्पादन को बढ़ाने हेतु समुचित कदम उठाए जाएं ताकि घरेलू मांग घरेलू स्तर पर पूरी की जा सके। जहां कहीं भी आवश्यक हो उत्पादकों के हितों की रक्षा हेतु सीमा शुल्क को बढ़ाने के संबंध में विचार किया जाए और देश में उत्पादित पेट्रो रसायन के आयात को रोका जाए। जहां तक स्टाइरिन और पॉलिकारबोनेट संयंत्रों की स्थापना के विकल्प की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इस संबंध में विभाग को उन पेट्रोरसायन जिनका वर्तमान में पूर्णतः या अंशतः आयात होता है हेतु उद्योग स्थापित करने के संबंध में समन्वयक के रूप में आवश्यक सहायता करनी चाहिए''।

## सरकार का उत्तर

1.6 अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) ने कहा कि:

''आयात पर अंकुश लगाने के लिए, नई क्षमता के निर्माण और निवेश को बढ़ावा देने के लिए; डीसीपीसी ने विभिन्न पेट्रोरसायन पर कस्टम ड्यूटी में बदलाव की सिफारिश की है।

वर्ष 2021-22 के बजट अनुशंसा के दौरान अन्य सिफारिशों के साथ पीवीसी पर आयात शुल्क को 10% से बढ़ाकर 11% करने की सिफारिश की गई थी। वर्ष 2021-22 के बजट की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

**नेफ्था पर सीमा शुल्क 4% से घटाकर 2.5% कर दिया गया है**। नेफ्था पर घटे हुए सीमा शुल्क से क्रैकर्स के उपयोग में और सुधार आने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप कम लागत पर ओलेफिन और एरोमेटिक्स की उपलब्धता होगी। सस्ता नेफ्था वैल्यू चैन में पेट्रोरसायन मध्यवर्ती के लिए एथिलीन और प्रोपाइलिन की उपलब्धता का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।''

इंटेंसिव प्रौद्योगिकी आधारित पॉलीकार्बोनेट बाजार में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए **पॉलीकार्बोनेट ड्यूटी पर सीमा शुल्क 5 से बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया है।**

## समिति की आगे की टिप्पणियां

**1.7** समिति ने नोट किया है कि विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई में प्रत्येक पेट्रोरसायन की मांग और उपलब्धता के अलग अध्ययन के संबंध में समिति की विशिष्ट सिफारिशों का समाधान नहीं किया गया है, उनके घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाए जाने हैं और ऐसे पेट्रोरसायन के निर्माण के लिए

उद्योग स्थापित करने के लिए एक सुविधा प्रदाता के रूप में आवश्यक सहायता प्रदान की गई है जो वर्तमान में पूर्णत: या काफी हद तक आयात किए जाते हैं। विभाग ने अपनी कार्रवाई में कुछ पेट्रोरसायन के संबंध में सीमा शुल्क संरचना के युक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी प्रदान की है। समिति का मानना है कि एक मजबूत पेट्रोरसायन उद्योग अपार संभावनाएं प्रदान करता है और कपड़ा, कृषि, पैकेजिंग, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य देखभाल, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार, सिंचाई, पेयजल आदि सहित अर्थव्यवस्था की जरूरत को पूरा करता है। इसलिए, आयात का सहारा लिए बिना भारी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में पेट्रोकेमिकल उद्योग का एक मजबूत आधार विकसित करना बहुत आवश्यक है। **इसलिए समिति मूल सिफारिश को दोहराते हुए पुरजोर सिफारिश करती है कि मंत्रालय को देश में पेट्रोरसायन उद्योग के समग्र विकास के लिए एक मजबूत आधार बनाने के लिए ठोस उपाय करने चाहिए। समिति की उपरोक्त सिफारिश के लिए तीन महीने के भीतर विशिष्ट उत्तर दिए जाने चाहिए।**

**सिफारिश क्रम संख्या 6**

**<u>विजन 2024 योजना</u>**

1.8 विजन 2024 योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी:-

> ''समिति यह जानकर चिंतित है कि 2018-19 के दौरान कुल पेट्रोरसायन आयात लगभग 1,28,000 करोड़ रुपये है, जो कुल राष्ट्रीय आयात का 3.56% है। 2018-19 के दौरान कुल पेट्रोरसायन निर्यात लगभग 78,000 करोड़ रुपये था जो कुल राष्ट्रीय निर्यात का 3.73% था। हालांकि पेट्रोरसायन के आयात का प्रतिशत पेट्रो-रसायन के निर्यात से कम है, लेकिन वास्तविक मूल्य के लिहाज से व्यापार असंतुलन है जो वर्ष 2018-19 के लिए 50,236 करोड़ रुपये है। इस संबंध में, समिति विभाग द्वारा दिए गए उत्तर को नोट करती है कि पेट्रो-रसायन का मुक्त व्यापार होता है जिसमें खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था के कारण आरंभिक, मध्यवर्ती और अंतिम उत्पाद का निर्माण शामिल है जब तक कि किसी व्यक्तिगत उत्पाद के लिए व्यापार बाधाओं का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया जाता है। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए, नई क्षमता सृजन के लिए इस क्षेत्र में निवेश, आयात प्रतिस्थापन और रोजगार सृजन के साथ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग ने विजन 2024 योजना तैयार की है। इस योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा कुछ पहल की जा रही है जैसे पीसीपीआईआर को मजबूत करना, बड़े निवेश हेतु प्रोत्साहन, नए मानक तैयार करके गुणवत्ता सुनिश्चित करना और उन मानकों को अनिवार्य बनाना, कौशल और रोजगार सृजन, एसएमई को प्रौद्योगिकी सहायता सेवाएं, बेहतर व्यापार बोध (नए एचएस कोड) और उद्योग के साथ बातचीत के लिए एक स्थायी मंच के रूप में सलाहकार फोरम। इस संबंध में समिति का मानना है कि विजन 2024 योजना के बड़े लक्ष्यों को तभी हासिल किया जा सकता है जब उपरोक्त पहलों को पूरी ताक़त और सतत निगरानी के साथ जारी रखा जाए। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। प्रत्येक वर्ष के अंत में की गई प्रगति की समीक्षा की जाए ताकि विजन 2024 योजना के उद्देश्यों को निर्धारित अवधि में प्राप्त किया जा सके।

## सरकार का उत्तर

1.9 अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) ने कहा है कि:

''विज़न 2024 के तहत वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वार्षिक प्रगति के ब्योरे निम्नानुसार देखे जा सकते हैं:

| **योजना** | **पैरामीटर** | **वर्ष 2019-20 के लिए** | | **वर्ष 2020-21 के लिए** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **लक्ष्य 2019-20** | **परिणाम मार्च 2020 तक** | **लक्ष्य 2020-21** | **परिणाम मार्च 2021 तक** |
| पूर्ण कालिक विशेषज्ञों के साथ पीसीपीआईआर को शक्ति प्रदान करना | शक्ति प्राप्त प्रबंधन बोर्ड | 0 | 1<br>(पीसीपीआईआर नीति को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधन का सुझाव देने के लिए उप-समिति गठित। समिति ने अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोविड-19 के कारण समय बढ़ाने का अनुरोध किया है।) | 1 | 0<br>(मसौदा सीसीईए नोट पर मंत्रालयों और विभागों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच की जा रही है) |
| भारी निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन | अनुमोदित/ घोषित वृहत परियोजनाएं | 0 | 1<br>(पीसीपीआईआर नीति को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधन का सुझाव देने के लिए उप-समिति गठित। समिति ने अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोविड-19 के कारण समय बढ़ाने का अनुरोध किया है।) | 1 | 0<br>(भारी निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने से संबंधित प्रस्ताव विचाराधीन है) |
| सलाहकार मंच, विकास समिति और उद्योगसे संवाद | बैठक | 6 | 6 | 6 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| अनिवार्य मानकों को अधिसूचित करना | रसायन/ पेट्रोरसायन | 9 | 7 | 35 | 0 |
| कौशल एवं रोजगार सृजन | अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक कोर्सेज़ | 80000 | 63,162 | 65,000 | 42,762 |
| प्लास्टिक और संबद्ध उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी सहायता सेवा | प्रदत्त सेवाएं | 90,00 | 6,221 | 90,000 | 16,082 |
| नए एचएस कोड की सिफारिश | नए कोड | 75 | 8 | 50 | 0 |

स्रोत: डैशबोर्ड डीसीपीसी- *http://dashboard.chemicals.gov.in/index.php*

## समिति की आगे की टिप्पणियां

1.10 समिति ने नोट किया है कि रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने विजन 2024 के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए वार्षिक लक्ष्य तय किए थे। हालांकि, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में विभाग द्वारा की गई प्रगति के अवलोकन से पता चलता है कि या तो लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे या निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए थे। उदाहरण के लिए, "पूर्णकालिक विशेषज्ञों के साथ पीसीपीआईआर सशक्त" योजना के तहत वर्ष 2019-20 के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था और 2020-21 के लिए निर्धारित एक लक्ष्य वित्तीय वर्ष के अंत तक बेनतीजा रहा। अन्य पहल "मेगा निवेश के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन" के तहत, 2019-20 के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था और भले ही 2020-21 के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन इसके लिए प्रस्ताव वर्ष के अंत तक विचाराधीन रहा। इसके अलावा 2020-21 के दौरान 35 अनिवार्य मानकों को अधिसूचित करने के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2019-20 और 2020-21 दोनों के दौरान कौशल और रोजगार सृजन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया। 2019-20 और 2020-21 दोनों वर्षों के दौरान 90,000 इकाइयों को प्रौद्योगिकी सहायता सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया था इसके अलावा, 2019-20 और 2020-21 के दौरान नए एचएस कोड की सिफारिश करने के लिए बहुत कम प्रगति की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 50 एचएस कोड की सिफारिश करने के लिए विशेष रूप से शून्य प्रगति की गई थी। **वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में ऐसी कमियों/विफलताओं को नोट करने के लिए क्षुब्ध होने के बाद, समिति का मानना है कि इस तरह की कमियों/विफलताओं ने विजन 2024 योजना के बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की विभाग की क्षमता में गंभीर संदेह पैदा कर दिया। इस संबंध में समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि विभिन्न योजनाओं के तहत वार्षिक लक्ष्यों को निरपवाद रूप से निर्धारित किया जाए और एक बार लक्ष्य निर्धारित किए जाने के बाद इसे वर्ष के दौरान सख्ती से आगे बढ़ाया जाना चाहिए और उसे प्राप्त किया जाना चाहिए।**

### सिफारिश क्रम संख्या 8

### सामंजस्य प्रणाली (एचएस) कोड

1.12 समिति ने अन्य श्रेणी के अंतर्गत आने वाले नए हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) कोड रसायन और पेट्रोरसायन के सृजन के संबंध में निम्नलिखित सिफारिश की:-

> ''समिति नोट करती है कि रसायनों और पेट्रो-रसायन "अन्य" श्रेणी में दिखाई देते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निगरानी के लिए पहचान की आवश्यकता होती है, क्योंकि सीमा शुल्क में निर्दिष्ट कोड की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप "अन्य" श्रेणी के तहत बड़ी मात्रा में अवांछनीय एक्जिम व्यापार हुआ है। इस संबंध में समिति को बताया गया है कि रसायन औरपेट्रो-रसायन विभाग ने "अन्य" श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के लिए नए सामंजस्य प्रणाली (एचएस) कोड का प्रस्ताव किया है। विभाग की सिफारिशों के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा 2018-19 के दौरान 53 एचएस कोड अधिसूचित किए गए हैं। इसके अलावा 2019-20 के दौरान रसायन औरपेट्रो-रसायन विभाग द्वारा 80 रसायनों और पेट्रो-रसायन के लिए नए एचएस कोड प्रस्तावित किए गए थे। इसमें से राजस्व विभाग ने 49 रसायन और 4 पेट्रो-रसायन के नए एचएस कोड अधिसूचित किए थे। चूंकि अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सहित स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के बिंदु से पेट्रो-रसायन का वर्गीकरण अत्यधिक महत्व रखता है,

इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग रसायनों और पेट्रो-रसायन के लिए एचएस कोड सौंपने की इस कवायद को जारी रख सकता है जो अन्य श्रेणी में आ रहे हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसे सभी रसायनों और पेट्रो-रसायन उत्पादों को अनुचित व्यापार प्रथाओं, आदि को रोकने के लिए विधिवत रूप से वर्गीकृत किया जाए।

## सरकार का उत्तर

1.13 अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) ने निम्नानुसार बताया:

''नए एचएस कोड का निर्माण एक सतत अभ्यास है। डीसीपीसी ने वाणिज्य विभाग के परामर्श से इस प्रक्रिया को जारी रखा है।''

## समिति की आगे की टिप्पणियां

1.14 समिति ने रसायन और पेट्रोरसायन विभाग द्वारा दिए गए उपरोक्त उत्तर को नोट किया है कि नए एचएस कोड का सृजन एक चल रही कवायद है। हालांकि इस संबंध में गत दो वर्षों के दौरान विभाग का प्रदर्शन सराहनीय नहीं है। 2019-20 के लिए 75 नए एचएस कोड का लक्ष्य निर्धारित किया गया था लेकिन केवल 8 नए एचएस कोड बनाए गए। नए एचएस कोड के लक्ष्य के मुकाबले 2020-21 के दौरान एक भी कोड नहीं बनाया गया। केवल आश्वासन देना पर्याप्त नहीं है। विभाग द्वारा "अन्य" श्रेणी के अंतर्गत आने वाले रसायनों और पेट्रोरसायन के लिए नए एचएस कोड बनाने के लिए ठोस कदम भी उठाए जाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे सभी रसायन और पेट्रोरसायन उत्पादों को अनुचित व्यापार प्रथाओं आदि को रोकने के लिए विधिवत वर्गीकृत किया जाए। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए **समिति सिफारिश करती है कि विभाग को "अन्य" श्रेणी के अंतर्गत आने वाले रसायनों और पेट्रोरसायन के लिए नए एचएस कोड बनाने/निर्दिष्ट करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए और समय सीमा के भीतर नए एचएस कोड बनाने के लिए अन्य संबंधित विभागों के परामर्श से ठोस उपाय शुरू करने चाहिए।**

### सिफारिश क्रम संख्या 11

## पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र

1.15 पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्रों (पीसीपीआईआर) के बारे में समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी:-

''समिति नोट करती हैं कि भारत सरकार ने अप्रैल 2007 मे एक पीसीपीआईआर नीति बनाई थी और चार पीसीपीआईआर अर्थात आंध्रप्रदेश, गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडू मैं पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्रों को प्रोत्सहन देने हेतु बड़े पैमाने पर एक सकेतिक तथा पर्यावरण अनुकूल तरीके से तभी से लेकर आज तक कलस्टर दृष्टिकोण को लागू स्थापित की गई हें।एक बार पूरी तरह से स्थापित हो जाने के बाद इन चार पीसीपीआईआर से लगभग 7.63 लाख करोड़ रुपये का निवेश मिल होने की आशा हैं। राज्य सरकारों से उपबंध आंकडो के अनुसार इन क्षेत्रौ मैं लगभग 2.12 लाख

करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। चार पीसीपीआईआर से लगभग 33.83 लाख व्यकितियो के लिए रोजगार उत्पन्न होने की उमीद है। लगभग 3.50 लाख व्यक्तियो को पीसीपीआईआर से संबधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गतिविधियो में लगाया गया है। हालांकि, समिति के विचार में, इन पीसीपीआईआर की स्थापना में अब तक हुई प्रगति स्तरीय नहीं है। क्योकि तेरह साल पहले ही बीत चुके हैं लेकिन अभी तक एक भी पीसीपीआईआर पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ हैं। गुजरात और ओडिशा पीसीपीआईआर के लिए एंकर टेनेंट नियुक्ति किए गए हैं और एंकर पीरयोजनाए शुरू की गई हैं; लेकिन आध्र प्रदेश और तमिलनाडु पीसीपीआईआर के संबद्ध में अभी भी काम नहीं किया गया है। पर्यावरण मंजूरी केवल गुजरात पीसीपीआईआर के संबद्ध में प्राप्त की गई हैं। चूंकि इस तरह की अकारण देरी उस उदेश्य को खत्म कर देगी जिसके लिए ये पीसीपीआईआर स्थापित किए जा रहे हैं,समिति दिध्द्ता से सिफरिश करती है कि रसायन और पेट्रोरसायन विभाग को मासिक आधार पर इन पीसीपीआईआर की स्थापना में हुई प्रगति की निगरानी करनी चाहिए और इस मामले को संबन्धित राज्य सरकार विशेष रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सरकारों के साथ जहां प्रगति बहुत धीमी हैं के साथ उच्चतम स्तर पर आगे बढ़ना चाहिए। विभाग को राज्य सरकारों को आवश्यक मौद्रिक और तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि समयबद्ध तरीके से लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त, विभाग ने विजन 2024 योजना के तरह इन पीसीपीआईआर को शुद्ध करने का लक्ष्य निर्धारित हैं।और समिति को उम्मीद है कि विभाग सभी चार पीसीपीआईआर को समयबद्ध तरीके से पूरी तरह से स्थापित करने के लिए ठोस उपाय शुरू करेगा। समिति को इस संबंध में प्रगति से अवगत कराया जाए''।

## <u>सरकार का उत्तर</u>

1.16 अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) ने निम्नानुसार बताया:-

- विभाग ने माननीय समिति के सुझावों को नोट कर लिया है और विभाग समयबद्ध तरीके से पीसीपीआईआर स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ मामले को उठा रहा है। इस प्रयोजन के लिए यह विभाग समय-समय पर पीसीपीआईआर के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है।

- पीसीपीआईआर नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों, जैसे डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स/इंटरमीडिएट फीडस्टॉक की अनुपलब्धता, कॉमन यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपर्याप्त फंडिंग, मास्टर प्लानिंग में देरी आदि को दूर करने के लिए, सरकार ने अधिक निवेश आकर्षित करने और तेजी से कार्यान्वयन के उद्देश्य से मौजूदा पीसीपीआईआर नीति में संशोधन करने की प्रक्रिया भी शुरू की है।

- पीसीपीआईआर नीति, 2007 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें संशोधन की सिफारिश करने के लिए प्रधान सचिव (उद्योग), आंध्र प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में नवंबर, 2019 में ओडिशा

सरकार, गुजरात सरकार, तमिलनाडु सरकार के सदस्यों और फिक्की, सीआईआई, आईसीसी, एआईपीएमए और सिपेट के प्रतिनिधियों वाली एक उप-समिति का गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार के सदस्यों के साथ। पीसीपीआईआर नीति में संशोधन की सिफारिश करने के लिए राज्यों के उद्योग सचिवों की समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए तत्कालीन सचिव, डीसीपीसी की अध्यक्षता में 27.05.2020 को एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई थी।

- मंत्री (सीएंडएफ) के अनुमोदन से, 2007की मौजूदा पीसीपीआईआर नीति में प्रस्तावित संशोधनों के लिए अंतर-मंत्रालयीय परामर्श के लिए 26.06.2020 को एक सीओएस नोट परिचालित किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उत्पादन की उच्च लागत को आंशिक रूप से ऑफसेट करने और प्रतिस्पर्धी देशों द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का मुकाबला करने के लिए कॉर्पोरेट कर प्रोत्साहन शामिल थे। पीसीपीआईआर नीति,2007 के प्रावधानों में संशोधन के लिए सचिवों की समिति (सीओएस) की स्वीकृति मांगी गई थी।

- सचिव (सी एंड पीसी) द्वारा 30 जुलाई 2020 को नीति आयोग के सीईओ, सचिव, डीईए और सचिव, राजस्व के साथ भी विस्तृत चर्चा की गई। उनकी टिप्पणियों और चर्चाओं के आधार पर, राजकोषीय प्रोत्साहनों को उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) से बदलने, एक चरणबद्ध विनिर्माण योजना शामिल को शामिल करने और संशोधित पीसीपीआईआर नीति के अनुमोदन के लिए सीधे एक सीसीईए नोट को आगे प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, माननीय मंत्री (सी एंड एफ) का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अंतर-मंत्रालयीय परामर्श के लिए सीसीईए नोट का मसौदा 24.08.2020 को परिचालित किया गया है।

- इसके बाद, पीसीपीआईआर पर मसौदा सीओएस नोट 17/12/2020 को कैबिनेट सचिवालय को पीसीपीआईआर नीति में प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित करने के अनुरोध के साथ भेजा गया था। प्रस्तावित बैठक अभी बुलाई जानी है और इस संबंध में भविष्य की कार्रवाई सचिवों की समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर की जाएगी।

## <u>समिति की आगे की टिप्पणियां</u>

1.17 समिति ने रसायन और पेट्रोरसायन विभाग द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त की-गई-कार्रवाई उत्तर पर चिंता व्यक्त की है। समिति ने विशेष रूप से सिफारिश की कि रसायन और पेट्रोरसायन विभाग को मासिक आधार पर इन पीसीपीआईआर की स्थापना में हुई प्रगति की निगरानी करनी चाहिए। इस संबंध में विभाग ने उत्तर दिया है कि वह समय-समय पर पीसीपीआईआर लागू करने की समीक्षा करता है। पीसीपीआईआर नीति को लागू करने के लिए गत एक वर्ष के दौरान उठाए गए कदमों से स्पष्ट है कि उन लक्ष्यों को साकार करने के लिए सतत निगरानी आवश्यक है जिनके लिए पीसीपीआईआर को स्थापित करने की 2007 में परिकल्पना की गई थी। संशोधित पीसीपीआईआर नीति के अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) नोट का मसौदा 24-08-2020 को अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए परिचालित किया गया था और उसके बाद की-गई-कार्रवाई उत्तर से इसका स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा, पीसीपीआईआर नीति में प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित करने के अनुरोध के साथ

पीसीपीआईआर संबंधी सचिवों की मसौदा समिति (सीओएस) नोट 17/12/2020 को कैबिनेट सचिवालय को भेजा गया था। की-गई-कार्रवाई उत्तर के अनुसार प्रस्तावित बैठक अभी बुलाई जानी है। विभाग ने जिस प्रकार से पीसीपीआईआर नीति का अनुपालन किया है और साथ ही आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु राज्यों में चार पीसीपीआईआर की स्थापना की है, समिति ने इस बात की निंदा की है। 14 साल बीत जाने के बाद भी इन पीसीपीआईआर ने अभी तक अपनी पूरी क्षमता प्राप्त नहीं की है। चूंकि पीसीपीआईआर नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करना बहुत आवश्यक है, **इसलिए समिति पहले की सिफारिश को दोहराती है कि रसायन और पेट्रोरसायन विभाग को संबंधित राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ मासिक आधार पर इन पीसीपीआईआर की स्थापना में हुई प्रगति की निगरानी करनी चाहिए। व्यक्तिगत बैठकें आयोजित करने में कठिनाइयों के मामले में, प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग विधि अपनाई जानी चाहिए। संशोधित पीसीपीआईआर नीति के अनुमोदन के लिए तत्काल कदम भी उठाए जाने चाहिए। इस सिफारिश की एक प्रति संशोधित नीति के अनुमोदन के लिए त्वरित कार्रवाई के लिए कैबिनेट सचिवालय को भी भेजी जानी चाहिए।**

## अध्याय – दो

## टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

### सिफारिश संख्या 2

### एथलीन क्रैकर्स की स्थापना

2.1 समिति नोट करती है कि वर्तमान में देश में ग्यारह एथलीन क्रेकर्स हैं जिनकी संयुक्त रूप से क्षमता प्रतिवर्ष 7277 किलो टन (केटीपीए) की है और 2200 एटीपीए की क्षमता वाले दो और एथलीन क्रेकर्स निर्माणाधीन हैं। रसायन और पेट्रोरसायन विभाग द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार वर्ष 2025 तक 1, 60,000 करोड़ रू. के अनुमानित निवेश के साथ प्रति 1500 केटीपीए की क्षमता वाले एथलीन क्रेकर्स चार और क्रेकर्स की आवश्यकता है। एथलीन विभिन्न घटक पेट्रो रसायन और उनके और उनके व्युत्पन्न के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण मूलभूत आधार है। अतः देश में अपेक्षित संख्या में एथलीन क्रेकर्स की आवश्यकता है। इस संबंध में समिति से सिफारिश करती है कि विभाग भटिंडा, पंजाब स्थित एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड (एचएमईएल) और बाड़मेर, राजस्थान स्थित एचपीसीएल-राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) द्वारा निर्माणाधीन दो संयुक्त उद्यम परियोजनाओं की निगरानी करनी चाहिए और इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और शुरू करने हेतु सभी संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए। समिति यह भी नोट करती है कि 3,50,000 करोड़ों रुपए के संयुक्त निवेश के साथ लगभग 9600 एटीपीए क्षमता वाले संयुक्त एथलिन की तीन और बड़ी परियोजनाएं अभी प्रक्रिया के चरण में हैं। ये क्रेकर्स महाराष्ट्र के रायगढ़ गुजरात के बड़ीनार और ओडिशा के बालासोर में स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं। इस संबंध में समिति को आशा है कि रसायन और पेट्रोरसायन विभाग संबंधित राज्य सरकारों के समन्वय से पर्यावरणीय, वैधानिक और अन्य मंजूरियां प्राप्त करने में एक समन्वय की भूमिका निभाए ताकि इन क्रेकर्स को समयबद्ध तरीके से स्थापित किया जा सके। समिति को एथलीन क्रेकर्स को स्थापित करने हेतु प्रस्तावित और निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में की गई प्रगति से अवगत कराया जाए।

### सरकार का उत्तर

2.2 अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) ने निम्नानुसार बताया:-

''एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड (एचएमईएल), बठिंडा, पंजाब के द्वारा नवंबर 2021 से अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किए जाने की संभावना है। बाड़मेर, राजस्थान में एचपीसीएल-राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) अच्छी प्रगति कर रही है, हालांकि कोविड 19 महामारी के कारण, कार्य में देरी हुई है। यह परियोजना 2024-25 के दौरान मुख्य धारा में आने वाली है।

जहां तक महाराष्ट्र में रायगढ़, गुजरात में वडिनार और ओडिशा के बालासोर में तीन और बड़ी परियोजनाओं का संबंध है; महाराष्ट्र के रायगढ़ में प्रस्तावित परियोजना के स्थान के विषय में निर्णय प्रक्रियाधीन है। गुजरात में वडिनार की परियोजना स्थापित की जा रही है और यह परियोजना के चरण में है। वर्तमान में प्रोपाइलिन रिकवरी यूनिट (पीआरयू) और नए पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट की स्थापना का काम चल रहा है। ओडिशा में बालासोर के लिए एथिलीन क्रैकर परियोजना प्रस्ताव पर निर्णय निदेशक मंडल द्वारा लिया जाना है।''

### सिफारिश संख्या 4
### क्षमता उपयोग

2.3 समिति नोट करती है कि वर्ष 2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान मूल प्रमुख पेट्रोरसायन के उत्पादन की क्षमता का उपयोग 79.9% से बढ़कर 87% हो गया है। तथापि, सिंथेटिक डिटर्जेंट इंटरमीडिएट को छोड़कर किसी भी मूल प्रमुख पेट्रोरसायन ने शत-प्रतिशत क्षमता उपयोग को प्राप्त नहीं किया है। अन्य पेट्रो रसायन की तुलना में विशेष रुप से परफारमेंस प्लास्टिक और सिंथेटिक रबड़ के उत्पादन हेतु क्षमता उपयोग कम है। विभाग ने जो इसके कारण बताए हैं वह है फीड स्टॉक की लागत, उत्पादन का अनुपात आदि पेट्रोरसायन के सस्ते आयात को बढ़ावा मिलता है। पॉलिमर, सिंथेटिक रबड़ और परफार्मेंस प्लास्टिक का क्षमता उपयोग बढ़ाने और उन्हें वैश्विक रूप से लागत रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने इन उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग ने इनमें से कुछ सिफारिशें स्वीकार की थी और कुछ नहीं। चूंकि विभिन्न पेट्रोरसायन की उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है ताकि आयात पर निर्भरता कम की जा सके, समिति सिफारिश करती है आयात शुल्क बढ़ाने के अलावा जो कि विभाग राजस्व विभाग के नए प्रस्ताव के साथ पुनः उठा सकता है विभाग को उद्योग संगठनों के साथ समन्वय विनिर्माताओं की सहायता हेतु समुचित कदम उठाए जाएं ताकि शत-प्रतिशत क्षमता का उपयोग प्राप्त किया जा सके और यह पता लगाया जा सके कि विभिन्न पेट्रोरसायन के उत्पादन की शत-प्रतिशत क्षमता का उपयोग प्राप्त करने के क्या असली कारण क्या है।

**<u>सरकार का उत्तर</u>**

2.4 अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) ने निम्नानुसार बताया:-

> "डीसीपीसी, रासायनिक और पेट्रोरसायन क्षेत्र के हितधारकों के परामर्श के बाद प्रत्येक वर्ष राजस्व विभाग से बजट की सिफारिश करता है। बजट वर्ष 2021-22 के दौरान प्रमुख घोषणाओं में से एक इस प्रकार है:
>
> रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग लंबे समय से 'नेफ्था' जैसे फीडस्टॉक पर आयात शुल्क में कमी की मांग कर रहे हैं, ताकि रसायन और पेट्रोरसायन के उत्पादन को विश्व स्तर पर लागत प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। लंबे समय से चली आ रही इस मांग का सरकार ने 2021-22 के बजट में ध्यान रखा है। नेफ्था पर सीमा शुल्क 4% से घटाकर 2.5% कर दिया गया है। नेफ्था पर घटे हुए सीमा शुल्क से क्रैकर्स के उपयोग में और सुधार आने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप सस्ते ओलेफिन और एरोमेटिक्स की उपलब्धता होगी। कम लागत वाला नेफ्था वैल्यू चैन में पेट्रोरसायन मध्यवर्ती के लिए एथिलीन और प्रोपाइलिन की उपलब्धता का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। यह प्रमुख बुनियादी पेट्रोरसायन के उत्पादन को और बढ़ावा देना।
>
> उद्योग में एक बार सामान्य स्थिति बहाल होने पर, जो कि कोविड-19 महामारी के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, विभिन्न पेट्रोरसायन के उत्पादन में 100% क्षमता उपयोग प्राप्त न करने के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए उद्योग संघों के साथ समन्वय में अध्ययन करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। हालांकि, उद्योग में 85% से अधिक क्षमता उपयोग को इष्टतम स्तर माना जाता है।"

**<u>सिफारिश संख्या 7</u>**

**<u>सीमा शुल्क संरचना को युक्ति संगत बनाना</u>**

2.5 समिति नोट करती है कि रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग ने आयातित फीडस्टॉक पर सीमा शुल्क घटाने और उत्पादों पर सीमा शुल्क में वृद्धि करने की सिफारिश की है, क्योंकि नई क्षमता निर्माण के लिए दीर्घकालिक योजना बनाई गई है और घरेलू विनिर्माताओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है जहां पर्याप्त घरेलू क्षमता है और क्षमता और मांग के बीच अंतर भी अधिक है। विभाग ने समिति को बताया कि कस्टम ड्यूटी बढ़ने से आयात कम करने और बढ़ी हुई घरेलू क्षमताओं को प्रोत्साहित करने और पॉलिमर के अलावा डाउनस्ट्रीम रसायनों के उत्पादन से बचने में मदद मिलेगी। समिति नोट करती है कि विभाग ने उद्योग संघों के साथ परामर्श के आधार पर नैपथा पर सीमा शुल्क को वर्तमान के 4 प्रतिशत से घटाकर शून्य और प्राकृतिक गैसों पर वर्तमान के 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने का प्रस्ताव किया है। विभाग ने मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए तैयार वस्तुओं (प्लास्टिक और उसके उत्पाद) पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की भी सिफारिश राजस्व विभाग से की गई है। विभाग ने सीमा शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाने को लेकर राजस्व विभाग के समक्ष अपनी प्रस्तुति भी दी थी। जबकि राजस्व विभाग ने प्लास्टिक फर्नीचर आदि जैसे कुछ तैयार उत्पादों के लिए आयात शुल्क में 25% की वृद्धि को अधिसूचित किया है, इसने फीडस्टॉक्स पर सीमा शुल्क में कमी नहीं की है, जिसमें यह कारण बताया गया है कि प्रस्तावों की हितधारकों के परामर्श सहित विस्तार से जांच की गई थी और ऐसे सभी संदर्भों पर उचित कार्रवाई की गई है। उन्होंने विभाग से अनुरोध किया कि यदि वे किसी भी प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो नवीनतम सूचना और आंकड़ों के साथ नए सिरे से प्रस्ताव भेजे। इस संबंध में समिति का मानना है कि देश में आयात करने के बजाय अंतिम उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि इससे देश में डाउनस्ट्रीम रोजगार पैदा हो सके। इसके अलावा, फीडस्टॉक्स के आयात पर सीमा शुल्क में कमी और अंतिम उत्पादों पर कस्टम शुल्क में वृद्धि से घरेलू क्षमता निर्माण के विस्तार में मदद मिलेगी क्योंकि पेट्रो-रसायन उद्योग में मूल्य वर्धन की अपार क्षमता है। इसलिए समिति की यह सिफारिश है कि रसायन औरपेट्रो-रसायन विभाग जल्द से जल्द राजस्व विभाग के विचारार्थ पेट्रो-रसायन के सीमा शुल्क ढांचे को तर्कसंगत बनाने के अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ नैपथा और प्राकृतिक गैस के आयात पर सीमा शुल्क को घटाकर शून्य करने के लिए नए सिरे से प्रस्ताव तैयार करे और उसे भेजे। समिति की यह सिफारिश अनुपालन हेतु उक्त विभाग को भी भेजी जाए।

## <u>सरकार का उत्तर</u>

2.6 अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) ने निम्नानुसार बताया:

> रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग लंबे समय से 'नेफ्था' जैसे फीडस्टॉक पर आयात शुल्क में कमी की मांग कर रहे हैं, ताकि रसायन और पेट्रोरसायन के उत्पादन को विश्व स्तर पर लागत प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। लंबे समय से चली आ रही इस मांग का सरकार ने 2021-22 के बजट में ध्यान रखा है। नेफ्था पर सीमा शुल्क 4% से घटाकर 2.5% कर दिया गया है। नेफ्था पर घटे हुए सीमा शुल्क से क्रैकर्स के उपयोग में और सुधार आने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप सस्ते ओलेफिन और एरोमेटिक्स की उपलब्धता होगी। कम लागत वाला नेफ्था वैल्यू चैन में पेट्रोरसायन मध्यवर्ती के लिए एथिलीन और प्रोपाइलिन की उपलब्धता का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। यह प्रमुख बुनियादी पेट्रोरसायन के उत्पादन को और बढ़ावा देना।
>
> पेट्रोरसायन के निम्नलिखित समूहों के लिए कई अन्य सिफारिशें की गईं:

i. इंटरमीडिएट के प्रीकर्सर

ii. पॉलिमर और पॉलीओल्स

iii. फिनिश्ड प्लास्टिक आर्टिकल्स

उपरोक्त सिफारिशों में से पॉलीकार्बोनेट शुल्क पर आयात शुल्क 5 से बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया है।

## सिफ़ारिश सं. 9

## मुक्त व्यापार समझौते

2.7 समिति यह नोट कर चिंतित है कि भारत में मुक्त व्यापार समझौता भागीदार देशों से आयात में भागीदार देशों को निर्यात की तुलना में उच्च दर से वृद्धि हुई है और यह भी देखा गया है कि एफटीए देशों के साथ रासायनिक और पेट्रोरसायन क्षेत्र में व्यापार घाटे की स्थिति व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने के बाद और खराब हुई है। इन मुक्त व्यापार समझौतों पर 2009-11 की अवधि के दौरान आसियान देशो, जापान, कोरिया और मलेशिया के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। समिति ने रसायन और पेट्रोरसायन विभाग द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण से नोट किया कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिमान्य मार्ग/एफटीए के माध्यम से होता है, एफटीए देशों को निर्यात में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होने से भारत द्वारा व्यापार समझौतों की कम उपयोग दर का संकेत मिलता है। मूल मानदंड के जटिल नियम, एफटीए के बारे में जानकारी की कमी, उच्च अनुपालन लागत और प्रशासनिक देरी निर्यातकों को तरजीही मार्गों का उपयोग करने से रोकती है। एफटीए के तहत भारत द्वारा दी जाने वाली वरीयता के उच्च मार्जिन (एमएफएन- तरजीही शुल्क) को देखते हुए, भारत के निर्यात में वृद्धि की तुलना में आयात में वृद्धि बहुत अधिक है। चूंकि इन मुक्त व्यापार समझौतों ने देश में पेट्रोरसायन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, समिति सिफारिश करती है कि सरकार उन देशों के साथ रसायनों और पेट्रोरसायन के व्यापार पर विभिन्न देशों के साथ हस्ताक्षरित एफटीए के प्रभाव पर एक अध्ययन कर सकती है और उचित कदम उठाने चाहिए। घरेलू रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग के हितों की रक्षा के लिए कदम। रसायन और पेट्रोरसायन विभाग को भी इसके समाधान के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो सरकार इन समझौतों पर फिर से विचार कर सकती है और घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए भविष्य में ऐसे मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत करते समय उचित सावधानी बरती जानी चाहिए।

### सरकार का जवाब

2.8 अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) ने निम्नानुसार बताया:-

"विभाग ने रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र पर मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के प्रभाव पर एक अध्ययन किया है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य रसायनों के आयात और निर्यात पर एफटीए के प्रभाव और भारतीय रासायनिक उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उपायों को समझना था।

आईआईएफटी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन ने निष्कर्ष निकाला है कि भारत कुछ रसायनों और पेट्रोरसायन का शुद्ध निर्यातक और शुद्ध आयातक है। जहां तक रसायनों और पेट्रोरसायन दोनों के

आयात का संबंध है, यह कई उत्पादों के लिए पर्याप्त रूप से बढ़ा है, कई मामलों में एफटीए और गैर-एफटीए भागीदारों दोनों से आयात में वृद्धि हुई है और यह अभी तक निर्णायक नहीं है कि आयात केवल शुल्क में कमी के कारण बढ़ा है। भारत की बढ़ती मांग और घरेलू उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता की कमी ने भी भारी आयात में योगदान दिया हो सकता है। भारत को प्रमुख रसायनों और पेट्रोरसायन में जिस प्रमुख प्रतियोगी का सामना करना पड़ा, वह चीन रहा है।

आईआईएफटी ने अध्ययन प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि आयात को देश के मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) और गैर-एफटीए भागीदारों दोनों से प्रबंधित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, इस क्षेत्र के लिए प्रभावी व्यापार संरक्षण को विश्व व्यापार संगठन के दिशानिर्देशों के अनुरूप बढ़ाने की आवश्यकता है। आयात को कम करने और रासायनिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए गैर-टैरिफ बाधाओं को खड़ा करने और बीआईएस मानकों को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता है।

वाणिज्य विभाग समय-समय पर चल रहे विभिन्न व्यापार समझौतों पर डीसीपीसी की टिप्पणियां मांगता है। घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए भविष्य में इस तरह के मुक्त व्यापार समझौतों के साथ बातचीत की सिफारिश करते हुए डीसीपीसी आगे उचित देखभाल करेगी।

## सिफ़ारिश सं. 10

## एंटी डंपिंग ड्यूटी

2.9 समिति विभाग द्वारा समिति के प्रश्न के उत्तर को नोट करने के लिए चिंतित है कि क्या विभाग द्वारा व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) को डंपिंग रोधी शुल्क लगाने के लिए कोई मांग/अनुरोध किया गया था और उन मांगों की वर्तमान स्थिति / अनुरोध। इस संबंध में, विभाग ने न तो इसके द्वारा की गई सिफारिशों का विवरण प्रदान किया और न ही उन मांगों/अनुरोधों की वर्तमान स्थिति को प्रस्तुत करने के अलावा कि यह सिफारिशें करने के बाद हस्तक्षेप नहीं करता है क्योंकि डीजीटीआर द्वारा रक्षोपाय शुल्क और एंटी-डंपिंग शुल्क का निपटारा किया जा रहा है। एक स्वतंत्र अर्ध-न्यायिक निकाय है। समिति डीजीटीआर की न्यायिक स्थिति पर विवाद नहीं करना चाहेगी, लेकिन यह उम्मीद करती है कि वास्तविक एंटी-डंपिंग मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए ताकि घरेलू उद्योग को माल की डंपिंग के माध्यम से विदेशी खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त किए जा रहे अनुचित लाभ से बचाया जा सके। सस्ते आयात की आड़ में देश में इस संबंध में, समिति सिफारिश करती है कि रसायन और पेट्रोरसायन विभाग समयबद्ध तरीके से डंपिंग रोधी शुल्क लगाने के लिए डीजीटीआर के समक्ष उसके द्वारा दायर सभी मामलों पर सख्ती से कार्रवाई करेगा।

## सरकार का उत्तर

2.10 अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) ने निम्नानुसार बताया:-

> "डीसीपीसी ने डीजीटीआर में एडीडी के लिए सीधे तौर पर सिफारिश नहीं की है। हालांकि, इस विभाग को उद्योग से प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है जिस पर यह अपनी सिफारिशें करता है। इस संबंध में विवरण निम्नानुसार देखा जा सकता है:
>
> - सिंथेटिक फाइबर उद्योग संघ के संबंध में मामला 4 दिसंबर 2020 को समीक्षा के लिए उठाया गया था; नाइलॉन फिलामेंट यार्न और नाइलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के लिए अधिसूचना जारी न करने के बारे में इसकी जांच के बाद व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) द्वारा सिफारिश के अनुसार चर्चा की गई थी।
> - व्यापार उपचारात्मक उपायों और विशेष रसायनों और विशेष पॉलिमर के लिए मध्यवर्ती/थोक रसायनों के निर्माण को बढ़ावा देने पर चर्चा करने के लिए सचिव द्वारा 7 अक्तूबर 2020 को एक समीक्षा बैठक की गई।"

## सिफ़ारिश सं. 12

## पेट्रोरसायन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास

2.11 समिति नोट करती है कि विशिष्ट पेट्रोरसायन उत्पादों के लिए बारीकी से संरक्षित प्रौद्योगिकी भारतीय पेट्रोरसायन उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों में से एक है। समिति को बताया गया कि देश में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) पर खर्च बहुत कम है। देश में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए रसायन औरपेट्रोरसायन विभाग में समय-समय पर उद्योग संघों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। इस संबंध में, समिति का दृढ़ मत है कि पेट्रोरसायन क्षेत्र के विकास और वृद्धि के लिए

अनुसंधान और विकास महत्वपूर्ण और सर्वोपरि है और यह रसायन और पेट्रोरसायन, अनुसंधान विभाग, संस्थानों, उद्योग संघों और व्यक्तिगत उद्योगों के पूरे प्रयासों से और संयुक्त पहल के माध्यम से ही संभव है। पेट्रोरसायन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास प्रयासों का उद्देश्य गुणवत्ता मानकों में सुधार करना, उच्च पैदावार प्राप्त करना जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन की लागत में कमी आई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करना है। भारत में कई वैज्ञानिक संस्थान हैं और देश की ताकत उच्च प्रशिक्षित वैज्ञानिक जनशक्ति के विशाल पूल में निहित है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि रसायन और पेट्रोरसायन विभाग को पेट्रोरसायन के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों और विशिष्ट उत्पादों के निर्माण में अनुसंधान संस्थानों, उद्योग संघों और व्यक्तिगत उद्योगों के प्रयासों को प्रेरित और समन्वयित करना चाहिए ताकि देश को दुनिया के अग्रणी देशों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

2.12 समिति नोट करती है कि रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के पास प्लास्टिक, इंजीनियरिंग पॉलिमर और विशेष प्लास्टिक के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करने की एक योजना है। इस योजना के तहत, मौजूदा पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी में सुधार और पॉलिमर और प्लास्टिक के नए अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों को प्रत्येक को 5 करोड़ रुपये तक की सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के फोकस में मौजूदा निर्माण प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन, मौजूदा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार और इसे बायो-डिग्रेडेबल प्लास्टिक के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के साथ-साथ पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित बनाना शामिल है। विभाग ने अब तक पांच सीओई स्थापित किए हैं और तीन सीओई प्रगति पर हैं। तीन नए सीओई भी स्थापित करने की योजना है। चूंकि पेट्रोरसायन के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार की इस पहल को और मजबूत करना है, समिति ने सिफारिश की है कि विभाग को यह जांचना चाहिए कि क्या 5 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान आधुनिकीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए पर्याप्त है और मौजूदा विनिर्माण प्रक्रियाओं का उन्नयन और मौजूदा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार यदि राशि अपर्याप्त है तो उसे उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। समिति आगे सिफारिश करती है कि देश के प्रीमियम शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों जैसे आईआईटी, सीपेट और राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों के सहयोग से क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि परिवर्तनकारी तकनीक और उत्पादों को विकसित किया जा सके जो घरेलू उद्योगों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा में बढ़त देंगे।

## <u>सरकार का उत्तर</u>

2.13 अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) ने निम्नानुसार बताया:-

> "विभाग उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए योजना में उद्योग, शिक्षाविदों, संघों और विभिन्न अन्य हितधारकों के बीच समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करता है। इसने पेट्रोरसायन के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों और विशेष उत्पादों के निर्माण के लिए संस्थान और उद्योग के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया ताकि देश को दुनिया के अग्रणी देशों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।
>
> मौजूदा विनिर्माण प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन और मौजूदा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए 5 करोड़ रुपये का सहायतानुदान पर्याप्त है क्योंकि परियोजना की कुल लागत कुछ मामलों में डीसीपीसी, संस्थान और उनके उद्योग भागीदारों द्वारा साझा की जाती है।

क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को पहले से ही देश के प्रीमियम शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों जैसे आईआईटी, सीपेट और राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों के सहयोग से बढ़ावा दिया जा रहा है। विभाग ने आईआईटी, सीपेट, सीएसआईआर संस्थानों जैसे संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है ताकि परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी और उत्पादों को विकसित किया जा सके जो घरेलू उद्योगों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिला सके।"

## अध्याय – तीन

## टिप्पणियां/सिफारिशें जिन पर समिति सरकार के उत्तर को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

## शून्य

## अध्याय – चार

## टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के की-गई-कार्रवाई उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

### सिफ़ारिश सं. 3

### पेट्रोरसायन की मांग और उपलब्धता

4.1 समिति नोट करती है कि 2025 के लिए मांग और आपूर्ति का पूर्वानुमान पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) और प्यूरीफाइड टेरेफ्थेलिक एसिड (पीटीए) के संबंध में लगभग संतुलित है। हालांकि, 2025 के लिए मांग और आपूर्ति का पूर्वानुमान अन्य पेट्रोरसायन जैसे मेजबान के संबंध में घाटे में है। पॉलीइथिलीन (पीई), पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी), मोनो एथिलीन ग्लाइकोल (एमईजी), इलास्टोमर्स आदि। इसके अलावा, स्टाइरीन और पॉली कार्बोनेट पूरी तरह से आयात किए जा रहे हैं क्योंकि देश में इन दो पेट्रोरसायन के लिए कोई घरेलू उत्पादन क्षमता नहीं है। पेट्रोरसायन, जिनकी उत्पादन क्षमता मांग से कम है, को घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात किया जाता है। चूंकि यह आवश्यक है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक मात्रा में विभिन्न पेट्रोरसायन का उत्पादन किया जाए, समिति सिफारिश करती है कि प्रत्येक पेट्रोरसायन की मांग और उपलब्धता का अलग-अलग अध्ययन किया जाना चाहिए और उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। देश में ताकि घरेलू स्तर पर मांग को पूरा किया जा सके। जहां कहीं आवश्यक हो, घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा करने और देश में उत्पादित पेट्रोरसायन के आयात की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए सीमा शुल्क में वृद्धि पर विचार किया जाना चाहिए। जहां तक स्टाइरीन और पॉलीकार्बोनेट का संबंध है, घरेलू उत्पादक देश में स्टाइरीन और पॉलीकार्बोनेट संयंत्रों की स्थापना के विकल्प तलाश रहे हैं। इस संबंध में, विभाग को ऐसे पेट्रोरसायन के निर्माण के लिए उद्योग स्थापित करने के लिए एक सुविधाकर्ता के रूप में आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए जो वर्तमान में पूर्ण या पर्याप्त रूप से आयात किए जाते हैं।

### सरकार का उत्तर

4.2 अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) ने निम्नानुसार बताया:-

> "आयात पर अंकुश लगाने के लिए, नई क्षमता के निर्माण के लिए और निवेश को बढ़ावा देने के लिए; डीसीपीसी ने विभिन्न पेट्रोरसायन पर कस्टम ड्यूटी में बदलाव की सिफारिश की है।
>
> अन्य सिफारिशों के साथ बजट अनुशंसा वर्ष 2021-22 के दौरान पीवीसी पर आयात शुल्क को 10% से बढ़ाकर 11% करने की सिफारिश की गई थी। बजट 2021-22 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
>
> **नेफ्था ड्यूटी पर सीमा शुल्क 4% से घटाकर 2.5% कर दिया गया है।** नेफ्था पर घटे हुए सीमा शुल्क से पटाखों के उपयोग में और सुधार आने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप लागत प्रतिस्पर्धी ओलेफिन और एरोमेटिक्स की उपलब्धता होगी। कम लागत वाला नेफ्था मूल्य श्रृंखला में पेट्रोरसायन मध्यवर्ती के लिए एथिलीन और प्रोपलीन की उपलब्धता का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

**पॉलीकार्बोनेट ड्यूटी पर सीमा शुल्क 5 से बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया है;** प्रौद्योगिकी इंटेंसिव पॉली कार्बोनेट बाजार में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए।"

## समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 7 देखें)

**सिफ़ारिश सं. 6**

**विजन 2024 योजना**

4.3 समिति यह नोट कर चिंतित है कि 2018-19 के दौरान कुल पेट्रोरसायन आयात लगभग लगभग रु 1,28,000 करोड़ था, जो कुल राष्ट्रीय आयात का 3.56% है। 2018-19 के दौरान कुल पेट्रोरसायन निर्यात लगभग लगभग रु78,000 करोड़ था जो कुल राष्ट्रीय निर्यात का 3.73% है। हालांकि पेट्रोरसायन के आयात का हिस्सा पेट्रोरसायन के निर्यात से कम है, वास्तविक मूल्य के संदर्भ में व्यापार असंतुलन है जो कि वर्ष 2018-19 के लिए 50,236 करोड़ रुपये है। इस संबंध में, समिति विभाग द्वारा दिए गए उत्तर को नोट करती है कि पेट्रोरसायन का मुक्त व्यापार है जिसमें खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था के कारण बिल्डिंग ब्लॉक्स, इंटरमीडिएट और अंतिम उत्पाद शामिल हैं जब तक कि व्यक्तिगत उत्पादों के लिए विशेष रूप से व्यापार बाधाओं का उल्लेख नहीं किया जाता है। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए, नई क्षमता निर्माण के लिए क्षेत्र में निवेश, आयात प्रतिस्थापन और रोजगार सृजन के साथ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने एक विजन 2024 योजना तैयार की है। इस योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा कतिपय पहलें की जा रही हैं। पीसीपीआईआर को मजबूत करना, मेगा निवेश के लिए प्रोत्साहन, नए मानकों को तैयार करके गुणवत्ता सुनिश्चित करना और उन मानकों को अनिवार्य बनाना, कौशल और रोजगार सृजन, एसएमई को प्रौद्योगिकी सहायता सेवाएं, बेहतर व्यापार खुफिया (नए एचएस कोड) और सलाहकार फोरम के साथ बातचीत के लिए एक स्थायी मंच के रूप में। इस संबंध में समिति का विचार है कि विजन 2024 योजना के ऊंचे लक्ष्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उपर्युक्त पहलों को पूरे जोश और निरंतर निगरानी के साथ जारी रखा जाए। इसलिए, समिति अनुशंसा करती है कि वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। प्रत्येक वर्ष के अंत में की गई प्रगति की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि विज़न 2024 योजना के उद्देश्यों को निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त किया जा सके।

## सरकार का उत्तर

4.4 अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) ने निम्नानुसार बताया:-

विजन 2024 के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। हासिल की गई वार्षिक प्रगति के ब्योरे इस प्रकार हैं:-

| योजना | मानदंड | वर्ष 2019-20 हेतु | | वर्ष 2020-21 हेतु | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य 2019-20 | मार्च 2020 तक परिणाम | लक्ष्य 2020-21 | मार्च 2021 तक परिणाम |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| पूर्णकालिक विशेषज्ञों के साथ पीसीपीआईआर को शक्ति प्रदान करना | शक्ति-प्राप्त प्रबंधन बोर्ड | 0 | 1<br>(इसे और प्रभावी बनाने के लिए पीसीपीआईआर नीति में संशोधन करने के सुझाव के लिए उप समिति गठित की गई। समिति ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोविड-19 के कारण समय बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है।) | 1 | 0<br>(मंत्रालयों और विभागों से सीसीईए नोट के मसौदे पर टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच की जा रही है) |
| बड़े निवेश के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन | मंजूर/घोषित बड़ी परियोजनाएं | 0 | 1<br>(पीसीपीआईआर नीति को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधन का सुझाव देने के लिए गठित उप-समिति। समिति ने अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोविड-19 के कारण समय विस्तार का अनुरोध किया है।) | 1 | 0<br>(मेगा निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने से संबंधित प्रस्ताव विचाराधीन है) |
| सलाहकार मंच, विकास समिति और उद्योग संपर्क | बैठकें | 6 | 6 | 6 | 1 |
| अनिवार्य मानक सूचित करें | रसायन / पेट्रोरसायन | 9 | 7 | 35 | 0 |
| कौशल और रोजगार सृजन | दीर्घकालिक और अल्पकालिक पाठ्यक्रम | 80,000 | 63,162 | 65,000 | 42,762 |
| प्लास्टिक और संबद्ध उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी सहायता सेवा | प्रदत्त सेवाएं | 90,000 | 6,221 | 90,000 | 16,082 |
| नए एचएस कोड की सिफ़ारिश करें | नए कोड | 75 | 8 | 50 | 0 |

स्रोत: डैशबोर्ड डीसीपीसी - *http://dashboard.chemicals.gov.in/index.php*

**<u>समिति की टिप्पणियां</u>**

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 10 देखें)

**सिफ़ारिश संख्या 8**

## हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) कोड

4.5 समिति ने नोट किया कि "अन्य" श्रेणी में आने वाले रसायनों और पेट्रोरसायन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निगरानी करने के लिए पहचान की आवश्यकता है, क्योंकि सीमा शुल्क में निर्दिष्ट कोड की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप "अन्य" श्रेणी के तहत भारी अवांछनीय एक्जिम व्यापार हुआ है। इस संबंध में समिति को सूचित किया गया कि रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने "अन्य" श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के लिए नए हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) कोड प्रस्तावित किए हैं। विभाग की सिफारिशों के आधार पर 2018-19 के दौरान राजस्व विभाग द्वारा 53 एचएस कोड अधिसूचित किए गए हैं। इसके अलावा, 2019-20 के दौरान, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग द्वारा 80 रसायनों और पेट्रोरसायन के लिए नए एचएस कोड प्रस्तावित किए गए थे। इसमें से राजस्व विभाग ने 49 रसायनों और 4 पेट्रोरसायन के नए एचएस कोड अधिसूचित किए। चूंकि पेट्रोरसायन का वर्गीकरण स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण की दृष्टि से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम के लिए प्रमुख महत्व रखता है, समिति सिफारिश करती है कि विभाग उन रसायनों और पेट्रोरसायन के लिए एचएस कोड आवंटित करने की इस प्रक्रिया को जारी रख सकता है जो गिर रहे हैं। अन्य श्रेणी के तहत और यह सुनिश्चित करें कि अनुचित व्यापार प्रथाओं आदि को रोकने के लिए ऐसे सभी रसायनों और पेट्रोरसायन उत्पादों को विधिवत वर्गीकृत किया गया है।

## सरकार का उत्तर

4.6 अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) ने निम्नानुसार बताया:-

> नए एचएस कोड का निर्माण कार्य चल रहा है। डीसीपीसी ने वाणिज्य विभाग के परामर्श से इस प्रक्रिया को जारी रखा है।

## समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-1 का पैरा संख्या 13 देखें)

**सिफ़ारिश सं. 11**

## पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र

4.7 समिति नोट करती है कि भारत सरकार ने अप्रैल 2007 में पीसीपीआईआर नीति तैयार की थी और चार पीसीपीआईआर अर्थात। तब से आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु राज्यों में पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर एकीकृत और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से बढ़ावा देने के लिए एक क्लस्टर दृष्टिकोण में स्थापित किया जा रहा है। एक बार पूरी तरह से स्थापित हो जाने पर, इन चार पीसीपीआईआर से लगभग रु. 7.63 लाख करोड़। राज्य सरकारों से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, रुपये का निवेश। इन क्षेत्रों में लगभग 2.12 लाख करोड़ रुपये किए गए/प्रतिबद्ध किए गए हैं। चार पीसीपीआईआर से लगभग 33.83 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। लगभग 3.50 लाख व्यक्तियों को पीसीपीआईआर से संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष

गतिविधियों में नियोजित किया गया है। तथापि, समितियों की राय में, इन पीसीपीआईआर की स्थापना में अब तक की गई प्रगति उल्लेखनीय नहीं है क्योंकि तेरह वर्ष पहले ही बीत चुके हैं लेकिन एक भी पीसीपीआईआर अभी तक पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया है। एंकर किरायेदारों को नियुक्त किया गया है और गुजरात और ओडिशा पीसीपीआईआर के लिए एंकर परियोजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पीसीपीआईआर के संबंध में अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। पर्यावरण मंजूरी केवल गुजरात पीसीपीआईआर के संबंध में प्राप्त की गई है। चूंकि इस तरह की अत्यधिक देरी से उस उद्देश्य को विफल कर दिया जाएगा जिसके लिए ये पीसीपीआईआर स्थापित किए जा रहे हैं, समिति दृढ़ता से सिफारिश करती है कि रसायन और पेट्रोरसायन विभाग को मासिक आधार पर इन पीसीपीआईआर की स्थापना में हुई प्रगति की निगरानी करनी चाहिए और मामले को उच्चतम स्तर पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। संबंधित राज्य सरकार के साथ स्तर विशेष रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सरकारों के साथ जहां प्रगति बहुत धीमी है। विभाग को राज्य सरकारों को आवश्यक आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा, विभाग ने विजन 2024 योजना के तहत इन पीसीपीआईआर को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है और समिति को उम्मीद है कि विभाग सभी चार पीसीपीआईआर को समयबद्ध तरीके से पूरी तरह से स्थापित करने के लिए ठोस उपाय शुरू करेगा। इस संबंध में की गई प्रगति से समिति को अवगत कराया जाए।

## <u>सरकार का उत्तर</u>

4.8 अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) ने निम्नानुसार बताया:-

- विभाग ने माननीय समिति के सुझावों को नोट कर लिया है और विभाग समयबद्ध तरीके से पीसीपीआईआर स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ मामले को उठा रहा है। इस प्रयोजन के लिए यह विभाग समय-समय पर पीसीपीआईआर के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है।
- पीसीपीआईआर नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स/मध्यवर्ती फीडस्टॉक की अनुपलब्धता, कॉमन यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपर्याप्त फंडिंग, मास्टर प्लानिंग में देरी आदि को दूर करने के लिए, सरकार ने प्रक्रिया भी शुरू की है। अधिक निवेश आकर्षित करने और तेजी से कार्यान्वयन के उद्देश्य से मौजूदा पीसीपीआईआर नीति में संशोधन करना।
- प्रधान सचिव (उद्योग) सरकार की अध्यक्षता में नवंबर, 2019 में एक उप-समिति का गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार के सदस्यों के साथ। ओडिशा सरकार, सरकार। गुजरात की, सरकार। तमिलनाडु और फिक्की, सीआईआई, आईसीसी, एआईपीएमए और सीपेट के प्रतिनिधियों ने इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पीसीपीआईआर नीति, 2007 में संशोधन की सिफारिश की। पीसीपीआईआर नीति में संशोधन की सिफारिश के लिए उद्योग सचिवों की राज्य सचिवों की समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए तत्कालीन सचिव, डीसीपीसी की अध्यक्षता में 27.05.2020 को एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई थी।
- मंत्री (सीएंडएफ) के अनुमोदन से, 2007 की मौजूदा पीसीपीआईआर नीति में प्रस्तावित संशोधनों के लिए अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए 26.06.2020 को एक सीओएस नोट परिचालित किया

गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उत्पादन की उच्च लागत को आंशिक रूप से ऑफसेट करने के लिए कॉर्पोरेट कर प्रोत्साहन शामिल थे। और प्रतिस्पर्धी देशों द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों से मेल खाते हैं। पीसीपीआईआर नीति, 2007 के प्रावधानों में संशोधन के लिए सचिवों की समिति (सीओएस) की स्वीकृति मांगी गई थी।

- 30 जुलाई 2020 को नीति आयोग के सीईओ के साथ सचिव (सी एंड पीसी) द्वारा और सचिव डीईए, सचिव राजस्व के साथ और विस्तृत चर्चा की गई। उनकी टिप्पणियों और चर्चाओं के आधार पर, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) के साथ राजकोषीय प्रोत्साहनों को बदलने का निर्णय लिया गया, एक चरणबद्ध विनिर्माण योजना शामिल है और संशोधित पीसीपीआईआर नीति के अनुमोदन के लिए सीधे एक सीसीईए नोट स्थानांतरित करें। तदनुसार, माननीय मंत्री (सी एंड एफ) का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए सीसीईए नोट का मसौदा 24.08.2020 को परिचालित किया गया है।
- इसके बाद, पीसीपीआईआर पर मसौदा सीओएस नोट 17/12/2020 को कैबिनेट सचिवालय को पीसीपीआईआर नीति में प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित करने के अनुरोध के साथ भेजा गया था। प्रस्तावित बैठक अभी बुलाई जानी है और इस संबंध में भविष्य की कार्रवाई सचिवों की समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर की जाएगी।

## <u>समिति की टिप्पणियां</u>

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 16 देखें)

## अध्याय – पाँच

## टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

### सिफ़ारिश सं. 1

### देश में पेट्रोरसायन की मांग और आपूर्ति से संबंधित सभी पहलुओं की जांच के लिए संयुक्त समिति।

5.1 समिति ने नोट किया कि देश में प्रमुख पेट्रोरसायन के उत्पादन की मांग और क्षमता के बीच का अंतर 2018-19 में 1124 किलो टन प्रति वर्ष (केटीपीए) से बढ़कर 2025 तक 7112 केटीपीए हो जाएगा। इसलिए मांग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और देश में व्यापक रूप से पेट्रोरसायन की आपूर्ति की स्थिति, विशेष रूप से मौजूदा कोविड 19 स्थिति को देखते हुए और इस विशाल देश की बढ़ती पेट्रोरसायन की जरूरत को पूरा करने के लिए उचित उपाय शुरू करने के लिए। इस संबंध में, समिति नोट करती है कि रसायन और पेट्रोरसायन विभाग द्वारा क्षेत्र में अन्य हितधारकों के साथ समन्वय में कुछ कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी) और रसायन और पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी) द्वारा संयुक्त रूप से पेट्रोरसायन की मांग और आपूर्ति परिदृश्य की जांच करने के लिए पीएसयू और अन्य के विशेषज्ञ सदस्यों के साथ एक समिति का गठन किया गया है। दूसरा, डीसीपीसी द्वारा एमओपी एंड एनजी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) और अन्य हितधारकों के परामर्श से एक मसौदा पेट्रोरसायन परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई है और तीसरा, डीसीपीसी ने ईआईएल को अनुमानित आपूर्ति के आधार पर एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के लिए कहा है। और संभावित रिफाइनरी और पेट्रोरसायन जटिल विन्यास के साथ पेट्रोरसायन की मांग जिसमें विभिन्न फीड-स्टॉक मार्ग शामिल हैं और प्रत्येक कॉन्फ़िगरेशन में अपेक्षित निवेश और वापसी। समिति आगे नोट करती है कि संयुक्त समिति की प्रतिवेदन और परिप्रेक्ष्य योजना पर मसौदा प्रतिवेदन को कोविड 19 के कारण वैश्विक महामारी के मद्देनजर फिर से देखा जा रहा है जिसने विश्व अर्थव्यवस्था के परिदृश्य को बदल दिया है और बाधित कर दिया है। समिति यह भी नोट करती है कि अमेरिका-चीन व्यापार संबंधों में हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए, अवसर और बढ़ गए हैं और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए भारत की ओर देख रही हैं। इसके अलावा, महामारी कोविद 19 ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी, जहां पूरी दुनिया आवश्यक कच्चे माल और प्रमुख उत्पादों की आपूर्ति के लिए चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने का लक्ष्य बना रही है। यह भारत को विशेष रूप से पेट्रोरसायन का वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनने का अवसर देता है। इस संबंध में, समिति महसूस करती है कि पेट्रोरसायन की घरेलू मांग को पूरा करने और क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के इस अत्यंत महत्वपूर्ण मामले को संभालने में सहक्रियात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि एमओपी एंड एनजी, डीसीपीसी, ईआईएल, पेट्रोलियम पीएसयू और निजी क्षेत्र के वरिष्ठ प्रतिनिधियों और क्षेत्र के विशेषज्ञों की संयुक्त समिति को 'मांग और आपूर्ति' से संबंधित सभी पहलुओं की जांच के लिए नोडल इकाई के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। देश में पेट्रोरसायन और दुनिया में मौजूदा स्थिति के कारण पैदा हुए अवसरों को हथियाकर देश को पेट्रोरसायन का वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाना। इस क्षेत्र के लिए पहले से तैयार की गई परिप्रेक्ष्य योजनाओं का अध्ययन इस समिति द्वारा प्रचलित विश्व आर्थिक परिदृश्य और पेट्रोरसायन के क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक ठोस रोड मैप के आलोक में किया जाना

चाहिए और देश को एक प्रमुख केंद्र बनाने के लिए अध्ययन किया जाना चाहिए। पेट्रोरसायन का उत्पादन एक निश्चित समय सारिणी के साथ किया जाना चाहिए। रोड मैप के आधार पर लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। समिति को उक्त अनुशंसा पर की गई कार्रवाई से तीन माह के भीतर अवगत कराया जाए।

**<u>सरकार का उत्तर</u>**

5.2 अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) ने निम्नानुसार बताया:-

> "एमओपी एंड एनजी, डीसीपीसी, ईआईएल, पेट्रोलियम पीएसयू और निजी क्षेत्र के वरिष्ठ प्रतिनिधियों और क्षेत्र के विशेषज्ञों को 'देश में पेट्रोरसायन की मांग और आपूर्ति' से संबंधित सभी पहलुओं की जांच करने और देश बनाने के लिए एक संयुक्त समिति के गठन की सिफारिश पेट्रोरसायन के एक वैश्विक आपूर्तिकर्ता के बारे में एमओपी एंड एनजी के साथ चर्चा की गई है और इसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है।"

**सिफारिश संख्या 5**
**<u>वैश्विक स्तर के संयंत्रों की स्थापना</u>**

5.3 समिति नोट करती है कि रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग ने पेट्रो-रसायन उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और आर्थिक रूप से तर्कसंगत बनाने के लिए आयात शुल्क बढ़ाने की सिफारिश की है ताकि विश्व स्तर पर पेट्रो-रसायन संयंत्रों के निर्माण के लिए निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। समिति के विचार में, आयात शुल्क बढ़ाना उन कारकों में से एक हो सकता है जो देश में वैश्विक स्तर के संयंत्रों की स्थापना में मदद कर सकते हैं, लेकिन कई अन्य कारक हैं जो पेट्रो-रसायन के उत्पादन के लिए देश में वैश्विक स्तर के संयंत्र स्थापित करने के लिए उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए समान रूप से आवश्यक हैं जैसे त्वरित और सुलभ मंजूरी, पूंजीगत लागत का कम होना, विश्व स्तर के संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन, कर छूट आदि। चीन, वियतनाम आदि जैसे देश इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी हैं और पेट्रो-रसायन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उनके द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहनों का अध्ययन करना जरूरी है। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग ऐसे प्रोत्साहनों के बारे में अध्ययन करे और व्यापार करने में सुगमता के तरीके, जैसे त्वरित पर्यावरणीय मंजूरी, सांविधिक/ कानूनी आवश्यकताओं के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस, निर्यात प्रोत्साहनों का प्रावधान, पूंजीगत लागत का कम होना, कर छूट आदि जिनको प्रमुख देशों द्वारा बड़े पैमाने पर पेट्रो-रसायन संयंत्र स्थापित करने के लिए उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु अपनाया जा रहा है, और उस अध्ययन के परिणामों के आधार पर देश में वैश्विक स्तर पर पेट्रो-रसायन संयंत्र स्थापित करने हेतु ठोस कदम उठाए।

**<u>सरकार का उत्तर</u>**

5.4 अपने की गई कार्रवाई उत्तर में रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग) ने निम्नवत बताया:-

"समिति ने निवेश आकर्षित करने के लिए उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करने और व्यापार का सरल तरीका बताए जाने के लिए पेट्रोरसायन पर अध्ययन करने का भी सुझाव दिया।

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग इसकी संभावनाएं तलाश रहा है।"

**नई दिल्ली;** **कनिमोझी करुणानिधि**
**16 नवंबर, 2021** **सभापति,**
**25 कार्तिका, 1943 (शक)**
**रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति** **परिशिष्ट एक**

## रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति
## (2021-2022) की प्रथम बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक मंगलवार, 16 नवम्बर, 2021 को 1500 बजे से 1700 बजे तक समिति कक्ष'बी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

**उपस्थित**

**श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि - सभापति**

**सदस्य**

**लोक सभा**

2. श्री दिव्येन्दु अधिकारी
3. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर
4. श्री कृपानाथ मल्लाह
5. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
6. श्री सत्यदेव पचौरी
7. श्री अरुण कुमार सागर
8. श्री प्रदीप कुमार सिंह
9. श्री उदय प्रताप सिंह

**राज्य सभा**

10. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला

11. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर
12. डॉ. अनिल जैन
13. श्री अंतियुर पी. सेल्वरासू
14. श्री अरुण सिंह

**सचिवालय**

1. श्री एन.के. झा - निदेशक
2. श्री सी. कल्याणसुन्दरम - अपर निदेशक
3. श्री कुलविन्दर सिंह - उप सचिव
4. श्री पन्ना लाल - अवर सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने सदस्यों का नवगठित समिति में स्वागत किया और उन्हें यह जानकारी दी कि इस बैठक का आयोजन वर्ष 2021-22 के दौरान जांच हेतु विषयों के चयन के संबंध में ज्ञापन संख्या-1 पर विचार करने तथा कार्यकाल के दौरान समिति की भावी कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए किया गया है।

3. तत्पश्चात् समिति ने ज्ञापन संख्या-1 पर विचार किया और चर्चा के पश्चात् वर्ष 2021-22 के दौरान विस्तृत जांच हेतु रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से जुड़े निम्नलिखित विषयों का चयन किया।

**एक. <u>रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय</u> (उर्वरक विभाग)**

1. सतत फसल उत्पादन और मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु नैनो उर्वरक
2. जीएसटी और आयात शुल्कों के संदर्भ में उर्वरक क्षेत्र से जुड़ी कर संरचना कच्चे माल और अंतिम उत्पादों की कर संरचना का विश्लेषण तथा आत्मनिर्भरता एवं उर्वरकों के उपयोग पर इसका प्रभाव
3. उर्वरकों का मूल्य, उपलब्धता और वितरण

**दो. <u>रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय</u> (रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग)**

4. विजन 2024– भारत को रसायनों और पेट्रो-रसायनों के अग्रणी विनिर्माता के रूप में स्थापित करना
5. कीटनाशक-सुरक्षित उपयोग सहित संवर्धन और विकास – कीटनाशकों हेतु लाइसेंस व्यवस्था
6. भोपाल गैस रिसाव स्थल से जहरीले कचरे का निपटान
7. पेट्रो-रसायन उत्पादों का पर्यावरणीय प्रभाव

**तीन. <u>रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय</u> (औषध विभाग)**

8. चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा

9. कोविड प्रबंधन हेतु दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता

10. प्रमुख प्रारंभिक सामग्री और मध्यवर्तियों की आत्मनिर्भरता

4. तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित प्रारूप की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों में किसी संशोधन/परिवर्तन के बिना एकमत से विचार किया और उसे स्वीकार किया:-

(एक) XXX XXX XXX

(दो) XXX XXX XXX

(तीन) XXX XXX XXX

(चार) "आयात एवं निर्यात सहितपेट्रोरसायनों की मांग और उपलब्धता"(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) संबंधी 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन;

(पांच) XXX XXX XXX

(छह) XXX XXX XXX

(सात) XXX XXX XXX

5. समिति ने सभापति को की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और आगामी सत्र में संसद में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत भीकिया।

**तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।**

**<u>परिशिष्ट – दो</u>**

**(प्रतिवेदन प्रस्तावना का पैरा 3 देखें)**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग) के 'आयात और निर्यात सहित पेट्रो-रसायन की मांग और उपलब्धता' विषय पर रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।**

| | | |
|---|---|---|
| एक | कुल सिफारिशें | 12 |
| दो | टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:-<br>(देखिए सिफारिश संख्या 2, 4, 7, 9, 10 और 12) | 6 |
| | कुल की प्रतिशतता | 50% |
| तीन | टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नही करना चाहती:-<br>(देखिए सिफारिश संख्या शून्य) | 0 |
| | कुल की प्रतिशतता | 0% |
| चार | टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:-<br>(देखिए सिफारिश संख्या 3, 6, 8 और 11) | 4 |
| | कुल की प्रतिशतता | 33.3% |
| पाँच | टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं:<br>(देखिए सिफारिश संख्या 1 और 5 ) | 2 |
| | कुल की प्रतिशतता | 16.7% |